तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / टि0ए0 / 3417 / 2005 / जालौर** **पीराराम बनाम भोमाराम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.2.2021	**<u>एकल पीठ</u>** **श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य** **उपस्थितिः–** श्री सी0पी0 पाराशर, अधिवक्ता प्रार्थी पक्ष अप्रार्थीगण पक्ष उपस्थित नहीं **<u>निर्णय</u>** हस्तगत निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम, 1955) की धारा 230, के अन्तर्गत न्यायालय जिला कलक्टर, जालौर द्वारा प्रकरण संख्या 12/2005 शीर्षक "पीराराम बनाम भोमाराम" में पारित आदेश दिनांक 05–07–2005 के विरुद्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है। 2– प्रार्थीगण के योग्य अधिवक्ता की बहस सुनी गई। 3– योग्य अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में निवेदन किया कि राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 के तहत प्रार्थी भोमाराम द्वारा प्रशासन आपके द्वार–2004 कैम्प जालेरा खुर्द में आवेदन प्रस्तुत किया कि प्रार्थी के भाई की खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु परेशानी है व पूर्व में उक्त रास्ता चलता था, जिसे बन्द कर दिया गया है, खुलवाया जाये। तहसीलदार, रानीवाडा ने दिनांक 30–3–2005 को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है। योग्य अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि उक्त निर्णय के विरुद्ध अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष हमारे द्वारा जो अपील प्रस्तुत की गई है, उसे अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अविधिक रुप से खारिज किया है। अधीनस्थ न्यायालयों ने इस बिन्दु पर गौर नहीं किया है कि दिनांक 10–12–2004 को जालेरा कलॉ में कोई कैम्प नहीं था और प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में किसी की खातेदारी खसरा नम्बर होने का उल्लेख नहीं है। प्रार्थना पत्र में ये भी अंकित नहीं किया है कि रास्ता किसके द्वारा व कब बन्द किया गया है। पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 20–12–2004 की है, जब कि रिपोर्ट प्रकरण के दर्ज होने के पूर्व दिनांक 3–1–2005 के पूर्व क्यों बनाई गई तथा पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 28–12–2004 को प्रस्तुत कर दी गई तो पत्रावली में क्यों नहीं लगाई गई। पटवारी की मौका रिपोर्ट भी सही नहीं है, क्योंकि नजरी नक्शा बनाते हुये खसरा नम्बर 532 में लाइन से जो रास्ता होना बताया है वह गलत है। पटवारी द्वारा पहले रिपोर्ट के साथ नक्शा ट्रैस पेश किया है जब कि बाद में नक्शा बदला जा कर नजरी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / टि0ए0 / 3417 / 2005 / जालौर** **पीराराम बनाम भोमाराम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	नक्शा बनाया है। मौके पर रास्ता कहॉ बन्द है ये भी रिपोर्ट में अंकित नहीं किया है। तहत न्यायालय द्वारा पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित करने में त्रुटि की है। अपीलाधीन आदेश अभियान में निस्तारित नहीं कर तहसीलदार ने अपने स्तर से किया है, जब कि अभियान समाप्त होने के बाद ग्राम पंचायत को अधिकार हो जाते हैं। ग्राम पंचायत द्वारा 45 दिवस की अवधि में निस्तारण नहीं करने की स्थिति में ही तहसीलदार आदेश पारित करने में सक्षम है। अतः अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के आदेश विधि विरुद्ध होने से निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जावें। 4– रैस्पो0 पक्ष उपस्थित नहीं है। 5– प्रार्थी पक्ष के योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। निगरानीधीन आदेश का अध्ययन किया। 6– पत्रावली का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि तहसीलदार, रानीवाडा के समक्ष राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 के तहत प्रकरण संख्या 62/2004 प्रस्तुत होने पर तहसीलदार, रानीवाडा ने आदेश को प्रशासन आपके द्वार अभियान– 2004 के तहत जारी किया गया था, जिस हेतु राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार को अधिकृत किया गया था। तहसीलदार के आदेश दिनांक 30–3–2005 के विरुद्ध अपील प्रस्तुत होने पर जिला कलक्टर, जालौर ने प्रकरण में विस्तृत विवेचना करते हुये स्पष्ट अंकित किया है कि पटवारी द्वारा प्रकरण में दिनांक 20–12–2004 को रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें सम्पूर्ण विवरण अंकित किया गया है। इससे स्पष्ट है कि मौजा जालेरा कलॉ के खसरा नम्बर 537 में जाने हेतु खसरा नम्बर 532 में हो कर जाते थे और आपस में विवाद होने के कारण खसरा नम्बर 532 के खातेदारों ने रास्ता बंद कर दिया है। इस सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा अपने समर्थन में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया जो इसकी पुष्टि करता है। राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 के तहत की जाने वाली कार्यवाही एक संक्षिप्ति कार्यवाही है जिसमें संक्षिप्ति रुप से जॉच की जाती है और तहसीलदार, रानीवाडा ने प्रकरण में विधिवत रुप से जॉच करते हुये आदेश दिनांक 30–3–2005 पारित किया है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने भी प्रकरण में विस्तार से परीक्षण व विवेचन करते हुये तहसीलदार के निर्णय की पुष्टि की है। स्पष्ट है कि अधीनस्थ दोनों न्यायालयों ने समवर्ती निष्कर्ष लेते हुए निर्णय पारित किए हैं और समवर्ती निर्णयों में निगरानी के सीमित दायरे के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। RRD 2019 Page 263 (DB) BOR Q.Mum. Fakeer singh vs. State of Raj. एवं RBJ (23) 2016 page 482 DB BOR एवं	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / टि0ए0 / 3417 / 2005 / जालौर** **पीराराम बनाम भोमाराम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	RBJ (14) 2007 page 35 RHC में स्पष्टतया मत व्यक्त किया गया है कि रिकार्ड पर प्रत्यक्ष त्रुटि होने की स्थिति में भी समवर्ती निर्णयों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। अतः निगरानी सारहीन होना पाई जाने से **खारिज** की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार हो कर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो कर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(मनोज कुमार नाग)** **सदस्य**	